मीना कुमारी

मीना कुमारी ने ही षड़यंत्र की गुत्थियों को खोलने में पहल की :

षड़यंत्र की गुत्थियाँ तब सुलझने लगीं जब एक शिकायतकर्ता मीना कुमारी ने उस षड़यंत्र के परिणामों को अपनी अंतरात्मा में महसूस किया। मीना कुमारी ने दिनांक 20.6.2002 को फर्रुखाबाद के माननीय न्यायाधीश के समक्ष दिए गए अपने साक्ष्य के बयान में स्वीकार किया है कि उपर्युक्त विरोधी दल के सदस्यों के प्रभाव में आकर भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ एफ.आई.आर. सं.58/98 दर्ज की गई और झूठा मुकदमा दायर किया गया। भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित और कमला देवी दीक्षित को झूठे मामले में घसीटने पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए शिकायतकर्ता ने उपर्युक्त दल के सदस्यों का विशेष रूप से नाम लिया है, जिन्होंने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था।

अब मीना कुमारी द्वारा 'विरोधी दल' ने क्या-2 करवाया और आखिर उस सोचे-समझे षड़यंत्र का अंजाम क्या हुआ, उसे फर्रुखाबाद के अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के शब्दों में ही देखना उचित होगा।

The knots of the conspiracy started untying further with another complainant Miss Meena Kumari realizing the results of the conspiracy to which she was made instrumental from here within. Meena Kumari has focused and accepted in her statement dated 20th June, 2002 before the Honorable Judge, Farrukhabad that she has got registered a fake F.I.R with No. 58/98 at Kampil Police Station against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit at the behest of the referred members of the "Opposition Group". Expressing her grief and repentance for her blunder in instigating false and fake complaint against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and Kamla Devi Dixit, the complainant has detailed the names of the members of the "Opposition Group" who have provoked and enticed her to do so.

Now in order to see as to how Meena Kumari was enticed to follow the directions of the "Opposition Group" in the background of the conspiracies and the resultant outcome of their efforts, we prefer to focus the present episode relating to Meena Kumari also in the words of the Upper District and Sessions Judge, Fast Track Court No.1, Farrukhabad.

''न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।

सत्र परीक्षण सं. 114/2000

राज्य प्रति- वीरेंद्र देव दीक्षित आदि

अपराध संख्याः 58/98 धाराः 376, 120 बी, 506, 114 भा.दं.सं.

थाना कंपिल, जिला फर्रुखाबाद।

एवं

सत्र परीक्षण सं. 234/2001
राज्य प्रति- कमला देवी दीक्षित आदि

अपराध संख्याः 58/98 धाराः 376, 376 ग, 114 व 506 भा.दं.सं.

थाना कंपिल, जिला फर्रुखाबाद।

पृष्ठ-1

प्रस्तुत मामलों में थाना कंपिल के पुलिस द्वारा अभियुक्त बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला दीक्षित और शांता बहन को भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग, 114 व 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत परीक्षित किए जाने हेतु आरोप-पत्र प्रेषित किए गए हैं और यह मामले 19-01-2000 व दिनांक 30-07-2001 के आदेश से सत्र सुपुर्द होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुए हैं।

पृष्ठ-5

प्रस्तुत मामले में पीड़िता मीनाकुमारी के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 28-04-98 को थाना कंपिल पर इस बात की की गई थी कि अभियुक्त वीरेंद्र देव द्वारा वादिनी के साथ बलात्कार किया गया और अभियुक्त गण कमला दीक्षित व शांता बहन के द्वारा इस बलात्कार में सहयोग दिया गया।

पृष्ठ-6

मैंने अभियोजन साक्षी नं. 1 मीना कुमारी द्वारा मुख्य परीक्षा के दौरान शपथ पर दिए गए बयान का अवलोकन किया। पी.डब्ल्यू. नं. 1 मीना कुमारी ने मुख्य परीक्षा के दौरान शपथ पर बयान दिया है कि वह नवीन मोदी के विश्वास पर अहमदाबाद से चलकर कंपिल, फर्रुखाबाद में आ गई। वहाँ पर उसने वीरेंद्र देव और कमला दीक्षित से उसकी मुलाकात कराई। अहमदाबाद से आने के बाद वह कंपिल आश्रम में रहने लगी।

दिनांक 2/3-04-98 को श्रीमती कमला दीक्षित व शांता बहन ने उसे वीरेंद्र देव के कमरे में बंद नहीं किया और न ही वीरेंद्र देव ने उसके साथ बलात्कार किया था। इस साक्षी को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और प्रति परीक्षा की गई।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि यह रिपोर्ट उसने अपने मन से नहीं लिखी थी; बल्कि अशोक पाहूजा, चतुर्भुज अग्रवाल, रामप्रताप सिंह चौहान, कैलाश चंद्र, प्राण गोपाल वर्मन, जया और तारा के दबाव में उनके बोलने पर लिखाई थी। उसने अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। इस तरह इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया और स्पष्ट रूप से कहा है कि यह रिपोर्ट उन्होंने अन्य लोगों के बोलने पर लिखाई थी।

पृष्ठ-7

उसने स्पष्ट रूप में कहा है कि यह कहना गलत है कि कमला देवी व शांता बहन जी आश्रम में रहती थीं, उनके सहयोग से वीरेंद्र देव के कमरे में मेरी मर्ज़ी के विरुद्ध बलात्कार किया हो। इस तरह से इस साक्ष्य ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का खंडन किया है व अभियोजन कथानक का भी समर्थन नहीं किया है। डॉक्टर सरोज बाला के साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई बल नहीं मिलता है।

अतः संक्षेप में मैं उपरोक्त विवेचना से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में घटना के संबंध में, एकमात्र साक्षी मीना कुमारी को पेश किया गया है; लेकिन इस साक्षी ने शपथपूर्वक अपने बयान में तहरीरी रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया है।

पृष्ठ-8

और न यह कहा है कि अभियुक्त वीरेंद्र देव ने उसके साथ बलात्कार किया है और न यह कहा है कि कमला दीक्षित व शांता बहन द्वारा बलात्कार किए जाने हेतु आपराधिक षड़यंत्र रचा गया है व बलात्कार के लिए दुष्प्रेरित किया गया है।

अतः अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग, 114 व 506 के अंतर्गत दोष मुक्त होने योग्य हैं।

आदेशः

अभियुक्तगण वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला दीक्षित व शांता बहन को भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग, 114 व 506 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

04-02-2006 *अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।''*

In the Court of Upper District and Sessions Judge, Court No.1, Farrukhabad.

Cross Examination No. 114/2000

Crime No. 58/98 Sections 376, 120B, 506, 114 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

State vs. 1. Baba Virendra Deo Dixit and others

Cross Examination No. 234/2001

Crime No. 58/98 Sections 376, 376A, 114 and 506 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

State vs. Kamla Devi Dixit and others

Page- 1

A charge sheet has been filed by the Police Station, Kampil against the accused Baba Virendra Deo Dixit , Kamla Devi Dixit and Shanta bahan under sections 376, 376 C , 114 and 506 of I.P.C and this case has been transferred to this court from the sessions court by order dated 19-01-2000 and 30-07-2001.

Page- 5:

A written complaint has been lodged by the victim Meena Kumari at the Police Station, Kampil, wherein it has been stated that she was raped by accused Virendra Dev and the accused Kamla Devi Dixit and Shanta bahan have given support in this rape.

Page-6

I have gone through the statement under oath of the Prosecution witness Meena kumari. P.W.1 Meena Kumari in her statement given on oath during the course of cross examination having believed Navin Modi she has come to Kampil, Dt.

Farrukhabad. He has arranged meet with Virendra Deo Dixit and Kamla Devi Dixit . She started living at Kampil Adhyatmik vidyalaya after having come from Ahmedabad. Neither Smt Kamla Devi Dixit and Shanta Bahan have locked her in the room nor Virendra Deo Dixit has raped her on 3/4-4-98. This witness was declared hostile by the Upper Ditrict Public Prosecutor and a cross examination was conducted.

She has also said that the report was not written at her own intention, but it was written on the forced enticement of Ashok Pahuja, Chaturbhuj Agarwal, Rampratap Singh Chauhan, Kailash Chandra, Pran Gopal Verma, Jaya and Tara. She has written nothing at her own intention. In this way this witness did not support the First Information Report and made it quite clear that the report was written at the behest of others.

Page-7

She had made it clear that it is wrong to say that Virendra Deo Dixit has raped me against my will in the room with the help of Kamla Devi Dixit and Shanta Bahan, the resident of the Adhyatmik vidyalaya. In this way, this witness has refuted the contents of the F.I.R and she has not supported the story of the prosecution. The evidence of Dr. Saroj Bala also does not give any strength to the Prosecution.

Hence, briefly, in view of the above arguments, I have reached the conclusion that the prosecution could produce only one witness Meena Kumari in their support, but this witness in her statement under oath did not support the F.I.R submitted as exhibit No. 1.

Page-8

Neither had she said that the accused Baba Virendra Deo Dixit has raped her nor she has said that Kamla Devi Dixit and Shanta Bahan had made any criminal conspiracy to inspire rape. The group of the accused are eligible to be freed from the charges framed under sections 376, 376 A, 114 and 506 against them.

The oral and documental evidence produced by the Prosecution do not prove the allegations made against the accused. Hence the group of the accused are eligible to get freed from the allegations made against the accused under sections 376, 376 ga, 114/376, 109/376, 120 B and 506 of I.P.C.

ORDER:

The accused Virendra Deo Dixit, Kamala Dixit and Shanta Behan are discharged from the charges made under sections 376, 376 C, 114/376, 109/376, 120 B and 506 of I.P.C.

04-02-2006 Upper District and Sessions Judge, Court No-1, Farrukhabad.

अब इस मीना कुमारी के संबंध में जजमेंट देखेंगे तो भी उसी विरोधी दल की चाल पूरे तरीके से समझ में आती है। वे लोग भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित को और आ.ई.वि.वि. परिवार को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने के लिए कितना कड़ा प्रण लिए हुए थे। अब इतनी बड़ी सोची-समझी साज़िश ! चाहे कोनिका का पिता प्राण गोपाल वर्मन हो, चाहे रेणुका, चाहे जया भारद्वाज हो, चाहे तारा देवी हो, चाहे मीना कुमारी भी क्यों न हो, इतने सारे लोगों को भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के ऊपर और आ.ई.वि.वि. परिवार के ऊपर अपना-2 प्रतिशोध निकालने के लिए 'विरोधी दल' वालों ने मना लिया और फँसा भी दिया। केवल अप्रैल 16 तारीख से ले करके 28 तारीख तक, इन 12-13 दिनों में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सारे न्यूज़ मीडिया वालों ने अपने-2 सर्क्युलेशन बढ़ाकर त्योहार मनाए।

स्थितियाँ देखने से यही पता चलता है कि यह 'विरोधी दल', भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित और आ.ई.वि.वि. परिवार को पूरे तरीके से मटियामेट करने तक साँस लेंगे ही नहीं और कमर कसकर इस लक्ष्य को साधने के लिए कोई कसर छोड़ेंगे भी नहीं। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं।

<u>At this juncture, we wish to add some of our words:</u>

When we closely observe the above judgment, we can well understand the methodology of the conspiracy in clear terms as to how the "Opposition Group" with determined intentions to defame and erase the entire "AVV family" along with Spiritual Brother Virendra Deo Dixit were able to convince; may be it Pran Gopal Varman, the father of Konica; may be it Renuka; Jaya Bharadwaj, Tara Devi and Meenakumari into their traps. They have funded them also. Wonder, it could be; they are able to mislead so many pawns in order to take unfounded revenge against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and the Ishwariya Family. Wonder; within a short span of 12 to 13 days, i.e., within April 16th to 28th April of the black year 1998, they could concentrate all their energies to their tunes to harm the "AVV family". And of-course, the News media in turn has celebrated the festival of increased circulation. When we see the circumstances in a nutshell, it comes out; the "Opposition Group" does not even take their breath till they could eradicate the entire "AVV family" along with Spiritual Brother Virendra Deo Dixit. Some important extracts from the judgment are annexed in continuation. Other episodes to continue.

XVI-(अ) 212
पुलिस हिन्दी

1802

प्रतिपूर्ण
पृष्ठ क्रमांक

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 द. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत).
FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P. C.)

1. * जिला रीवा * थाना अमरपाटन वर्ष 2010 * प्र. सू. प. क्र. 228/010 * दिनांक 1/12/10 48
2. (1) * विधान ...... धाराएं
   (2) * विधान भा.द.वि. ...... धाराएं 363, 366, 34
   (3) * विधान ...... धाराएं
   (4) * अन्य विधान एवं धाराएं ×
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा क्र. ×
   (ब) * घटना का दिन शनिवार * दिनांक 23/10/010 * समय 1 बजे दिन
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 1/12/2010 समय 14:00 बजे रो. सा. क्र. 24
4. सूचना का प्रकार : * लिखित/मौखिक
5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी 5 K.M. दक्षिण
   (ब) * घटना स्थल का पता बोदाबाग वार्ड क्र. 9 थाना अमरपाटन
   बीट नं.
   (स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना × जिला ×
6. अभियोगी/सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम श्रीमती कुसुम कली गुप्ता
   (ब) पिता/पति/पालक का नाम भगवानदास गुप्ता
   (स) जन्म दिनांक/ वर्ष 46 वर्ष
   (द) पासपोर्ट नं. × जारी दिनांक ...... (इ) राष्ट्रीयता भारतीय
   जारी होने का स्थान
   (क) व्यवसाय गृह कार्य
   (ख) पता बोदाबाग वार्ड क्र. 9 थाना अमरपाटन
7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

(1) महेश पिता ... बोदाबाग
(2) पूजा पिता ... – बोदाबाग
(3) पवन ... निवासी ... रीवा
(4) राजा भाई (5) मालती बहन दोनों निवासी विन्ध्य विहार कालोनी ...

8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण पुत्री की तलाश करते रहने व आरोपियों के ... के डर से
9. अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

10. * अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य ......
11. * मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो) ......
12. प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

आवेदिका कुसुमकली गुप्ता निवासी बोदाबाग रीवा की लिखित आवेदन लड़का सजीव गुप्ता के साथ उपस्थित
होकर एक टाइपशुदा आवेदन पत्र पेश की [illegible] वास्ते कार्यवाही हेतु थाना अनन्तपुर की विवेचना
मामला जो धारा 363, 366, 34 IPC का घटित पाए जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया
जाता है। आवेदन पत्र की नकल अक्षरशः नीचे नकल है। प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना
अनन्तपुर जिला रीवा (म.प्र.), विषय- मेरी पुत्री नीलिमा गुप्ता (सोनू) उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर
अपहरण कर लिए जाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थिया श्रीमती कुसुमकली पत्नि स्वर्गीय
[illegible] गुप्ता निवासी बोदाबाग रीवा थाना अनन्तपुर रीवा की रहने वाली है। यह कि प्रार्थी की बच्ची
सोनू गुप्ता उर्फ नीलिमा गुप्ता साई कम्प्यूटर कालेज में डी.सी.ए. की पढ़ाई कर रही थी। यह कि
सोनू पढ़ाई के लिए घर से चली जाती थी तथा उसके मिलने के लिए कुछ लोग आया जाया
करते थे। यह कि बोदाबाग में ही एक विश्वकर्मा परिवार का मकान [illegible] है जो विश्वकर्मा
[illegible] एवं आई.टी.आई. की कोचिंग चलाता है। यह कि [illegible] दिनांक 28/10/10 के बाद
बाद दिन मेरी बच्ची सोनू घर से लापता है। प्रार्थिया अपनी बच्ची को काफी [illegible]
[illegible] तमाम जगहों पर तलाश करती रही किन्तु कोई पता नहीं चल सका है। यह
कि प्रार्थिया की लड़की को कुछ लोगों ने [illegible] [illegible] भगा ले जाया गया है [illegible]
कि [illegible] इन लोगों से [illegible] [illegible] तो [illegible] कि चिन्ता मत करो [illegible]
[illegible] प्रार्थिया को [illegible] है। यह कि बोदाबाग में ही [illegible] विश्वकर्मा [illegible]
है। [illegible] मोबाइल नंबर 9993468801 है [illegible]
है और कहता है कि आप चिन्ता मत करो सोनू मिल जाएगी। पुलिस में रिपोर्ट मत करो।
यह कि [illegible] विन्ध्य विहार कालोनी पड़रा [illegible] [illegible] पुत्री [illegible]
[illegible] जिसका मोबाइल नं. 9200234148 है। यह कि [illegible] जो [illegible]
[illegible] बताती है। तथा निवास विहार कालोनी, पड़रा [illegible]
[illegible] थी। यह कि मेरी पुत्री सोनू गुप्ता का अपहरण करने वाले [illegible] विश्वकर्मा
[illegible] पत्नी [illegible] विश्वकर्मा, [illegible] [illegible] [illegible], मालती
[illegible] निवासी विन्ध्य विहार कालोनी पड़रा रीवा है। [illegible] श्रीमान जी से निवेदन
है कि प्रार्थिया के प्रति [illegible] है। [illegible] परेशान है। [illegible]
[illegible] मेरी बच्ची को अपहरण किया गया है जिनके द्वारा [illegible] दी जाती है कि पुलिस में
रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी। अतः निवेदन है कि उचित वैधानिक
कार्यवाही किए जाने की कृपा की जावे। ह० श्रीमती कुसुमकली

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 363, 366, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * ---------- को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना स्वयं [illegible] जिला ---------- को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 157 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया. इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी.

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) [illegible] दुबे
*(पद) HC-410
*(नं. यदि है) PS अनन्तपुर

कु सुम कली गुप्ता

अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा.

प्रति, माननीय न्यायालय श्रीमान CJM रीवा की ओर [illegible] --- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

फाम न. १

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा १५४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr.P.C)

1. *जिला - रीवा *थाना - अनंतपुर *वष - २०१० *प्र. सू. प. क्र. - २२८/०१० *दिनांक १/१२/१०

२. (१). *विधान..... धाराएं .....

(२) *विधान - ता. हि. धाराएं - ३६३, ३६६, ३४

(३) *विधान..... धाराएं.....

(४) *अन्य विधान एवं धाराएं.....

३. (अ) संदर्भित रोजनामचा क्र. .....

(ब) *घटना का दिन - शनिवार *दिनांक - २३/१०/०१० *समय - १ बजे दिन

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक - १/१२/२०१० *समय - १४:००बजे *रो. सा. क्र. - २४

४. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक - मौखिक

५. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी - ५ कि.मी. दक्षिण

(ब) घटना का स्थल - बांदा बाग वाड क्र. ९ थाना अनंतपुर *वीट न. .....

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार म है तो थाना .....जिला .....

६. अभियोगी/सूचनाकता :

(अ) *नाम - श्रीमती कुसुमकली गुप्ता (ब) पति का नाम - भगवानदास गुप्ता

(स) जन्म/दिनांक/वष - ४६ वष (ड) राष्ट्रीयता - भारतीय (द) पासपोट न. .....

जारी दिनांक .....जारी होने का स्थान .....(क) व्यवसाय - गृहकाय

(ख) पता - बांदा बाग, वाड क्र. ९, थाना अनंतपुर

७. ज्ञात/ अज्ञात/ संदेही/ आरोपी का पूरा विवरण

(१) महेश विश्वकमा - बांदा बाग

(२) पूजा विश्वकमा - बांदा बाग

(३) पवन कुशवाहा, निवासी - नेहरु नगर, रीवा

(४) राजा भाई (५) मालती बहन दोनों निवासी विन्धा विहार कॉलोनी पडरा

८. अभियोगी/सूचनाकता द्वारा सूचना देने म विलम्ब का कारण - पता तलाश करते रहने व आरोपियों को द्वारा दी गई धमकी के डर से

९. अपहृत/संबद्ध सम्पत्ति का सम्पूण विवरण (आवश्यकता अनुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग कर) .....

१०. *अपहृत/संबद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य .....

११ * मग/अकाल मृत्यु सूचना क्र. (यदि हो).....

१२. प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकता अनुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग कर)

आवेदिका कुसुमकली गुप्ता निवासी बांदा बाग रीवा को साथ अपने लड़का राजीव गुप्ता के साथ उपस्थित आकार एक गुमशुदा आवेदन पत्र स्वयं को हस्ता. वास्ते कायवाही हेतु थाना म प्रस्तुत की जिसके मजबुन से अपराध धारा ३६३, ३६६, ३४ IPC का घटित पाए जाने से पंजीबद्ध कर विवेचन म लिया जाता है | आवेदन पत्र की नक़ल अक्षाश: जैल नाल्मी है | प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना अनंतपुर, जिला - रीवा (म.प्र.) विषय : मेरी पुत्री नीलिमा गुप्ता(सोनू) उम्र १७ वष को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिए जाने के सम्बन्ध म | महोदय निवेदन है कि प्रार्थिनी श्रीमती कुसुमकली पति भगवानदास गुप्ता निवासी बांदा बाग, थाना अनंतपुर, रीवा की रहने वाली है | यह कि प्रार्थी की बच्ची सोनू गुप्ता उफ नीलिमा गुप्ता सांई कंप्यूटर कालेज म डी.सी.ए. की पढ़ाई कर रही थी | यह की सोनू कुछ समय के लिए घर से चली जाती थी तथा उससे मिलने के लिए कुछ लोग भी आया जाया करते थे | यह कि बांदा बाग म ही एक विश्वकमा किराए के मकान लेकर रहता है | जो कि अपने आप को एल.आई.सी. का कमचारी बताता है | यह कि आज से करीबन एक माह पूव २३/१०/१० को एक बजे दिन से मेरी बच्ची सोनू घर से लापता है | प्रार्थिया अपनी बच्ची को सभी रिश्तेदारियों म तथा उसके आने जाने की तमाम जगहों पर तलाश करती रही लेकिन कोई पता नहीं चल सका है | यह की प्रार्थिया की लड़की को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह करके घर से भगा ले जाया गया है | क्योंकि जब भी म उन लोगों से सोनू के बारे म पूछती हूँ तो कहते ह चिंता मत करो मिल जाएगी | प्रार्थिया का पूरा घर परेशान है | यह कि बांदा बाग म ही महेश विश्वकमा किराए से रहता ह | पवन कुशवाहा नेहरु नगर बताया जिसका मोबाइल नंबर ९९९३४६८१०१ है जो कि घर आता है और कहता है आप चंता मत करो सोनू मिल जाएगी | पुलिस म रिपोट मत करो | यह कि राजा भाई विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा,

रीवा जो कि कुछ दिन पुत्री फोन करता था और घर भी आता था जिसका मोबाइल न. ९२००२३४१४८ है | यह कि एक बहन जो कि अपने को मालती बहन बताती है तथा विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा, रीवा जो राजा भाई के साथ आती थी | यह कि मेरी पुत्री सोनू गुप्ता का अपहरण करने वाले संदेही महेश विश्वकमा तथा उसकी पत्नी पूजा विश्वकमा, पवन कुशवाहा नेहरु नगर रीवा तथा राजा भाई, मालती बहन दोनों निवासी विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा, रीवा है | अत; श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिका के पति हाट के मरीज ह | मेरा पूरा परिवार परेशान है | उपरोक्त लोगों के द्वारा मेरी बच्ची को अपहरण किया गया है | जिनके द्वारा धमकी दी जाती है कि पुलिस म रिपोट करने जाओगे तो तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी | अत: विनय है कि उचित वैधानिक कायवाही की जाने की कृपा की जाए | Sd/- श्रीमती कुसुमकली |

१३. कायवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा ३६३, ३६६, ३४ IPC का प्रकरण पंजीबद्ध का विवेचना म लिया गया/नहीं लिया गया तथा स्वयं I। को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना..... जिला..... को स्थानार्तरित किया गया या द.प्र.स. की धरा १५७ 'ब' के अंतगत कायवाही की गई | अभियोगी सूचनाकता को प्रथम सू.प. पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही सही अभिलिखित होना स्वीकार किया | इसकी एक प्रतिलिपि अभिकता को नि:शुल्क प्रदान की गई |

Sd/- हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

अभियोगी/सूचनाकता के हस्ताक्षर नाम- रामविलास दुबे

पद- HC 420

न. यदि है -पुलिस स्टेशन अनंतपुर

प्रति, माननीय श्रीमान JMFC, रीवा को ओर सूचनाकता की ओर सूचनाथ अग्रेषित

.....

उनिशाक्षेमुरी -२४५-१-१-२०१०-फासे ५०० बुक्स

ITEM NO.44 Court No.10 SECTION IIA

SUPREME COURT OF INDIA 830970
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl) No(s).6395/2012

(From the judgement and order dated 12/04/2012 in MCRC No.10923/2011, of The HIGH COURT OF M.P AT JABALPUR)

PAWAN KUMAR KUSHWAHA & ORS. Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF M.P.& ORS. Respondent(s)

(With appln(s) for exemption from filing O.T.,stay and office report))

Date: 02/11/2012 This Petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE T.S. THAKUR
HON'BLE MR. JUSTICE FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA

For Petitioner(s) Mr. Shailendra Bhardwaj,Adv
Ms. Aroma S.Bhardwaj, Adv.

For Respondent(s) Ms. Vibha Datta Makhija,Adv

For RR Nos. 3,4 Mr. Vikas Upadhayay, Adv.
Mr. K.K.Shukla, Adv.

Certified to be true copy
Assistant Registrar (JCS)
12.12.12
Supreme Court of India

UPON hearing counsel the Court made the following

O R D E R

Leave granted.

The appeal is allowed and disposed of in terms of the signed order.

sd/-
(Shashi Sareen)
Court Master

sd/-
(Madhu Sudan)
Court Master

(Signed order is placed on the file)

830971

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL No. 1829 OF 2012
(Arising out of SLP(Crl.) No. 6395 of 2012)

PAWAN KUMAR KUSHWAHA & ORS. ... Appellant(s)

Versus

STATE OF M.P. & ORS. ... Respondent(s)

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Crl.)
12-12-12
Supreme Court of India

O R D E R

Leave granted.

This appeal arises out of an order passed by the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur whereby Miscellaneous Criminal Case No. 10923 of 2011 filed by the appellants under Section 482, Cr.P.C. has been dismissed thereby refusing to quash the proceedings pending against the appellants in MJC No. 1 of 2011 pending before the JMFC, Rewa.

On the basis of the report lodged by the mother, Kusumkali Gupta w/o Shri Bhagwan Das Gupta and mother of Ms. Neelima Gupta a case under sections 363 and 366 read with Section 34, I.P.C. was registered at police Station, Anandpur, District, Rewa. Investigation conducted into the allegations made by the complainant culminated in the Investigating officer filing a closure report before the

Judicial Magistrate, Ist Class at Rewa stating that no offence was proved to have been committed by the persons named in the report. The complainant however was dissatisfied with the said report and appears to have filed a protest petition before the Magistrate which was allowed by the Magistrate who took cognizance of the offence mentioned above and issued process against the appellants herein.

Aggrieved by the order of the Magistrate, the appellants filed a petition under Section 482, Cr.P.C. before the High Court at Jabalpur. The case of the appellants in the said petition as also before us is that they are totally innocent and that Ms. Neelima Gupta daughter of Smt. Kusumkali Gupta is and was a major on the date she out of her will left her home and family to join the Adhyatmaik Ishwariya Vishvavidyalaya Ashram, Farrukhabad (U.P.). Reliance in support of that contention was placed upon an affidavit filed by Ms. Neelima Gupta before the High Court stating that she had joined the above organisation on her own and without any duress or inducement whatsoever from any quarter. The High Court notwithstanding the statement of Ms. Neelima Gupta declined to interfere with the ongoing proceedings before the Magistrate and dismissed the petition field by the appellants. The High Court all the same held that the search warrants issued by the Magistrate against Ms. Neelima Gupta cannot be sustained and that a notice ought to be ssued to her in the fist instance to appear

before the Magistrate as a witness to get her statement recorded. In case she failed to respond to the notice the Magistrate could pass fresh orders for a search warrant for her production. The present appeal assails the correctness of the above order to the extent the same refused to quash the proceedings notwithstanding the fact that the alleged victim was a major and had made a statement that she had joined the organisation mentioned earlier of her own free will.

When the matter came up before us on 16.08.2012 Ms. Neelima Gupta also appeared in person and submitted that she is a major being around 24 years old and a student/teacher in Adhyatmaik Ishwariya Vishvavidyalaya, Delhi. She further stated that she was living in the Institute without any restraint or coercion from any quarter. We had on that statement summoned respondent nos. 3 and 4 who happen to be the parents of Ms. Neelima Gupta to appear in person. In response to the said direction, the complainant Ms. Kusumkali Gupta has appeared in person who submits that her daughter has been taken away from her by the appellants without her consent and that no information regarding her whereabouts was made available to her till search warrants are issued for her production in the court. Mr. Shailender Bhardwaj who appears for the complainant Mrs. Kusumkali Gupta however argued that while Ms. Neelima Gupta has made a statement which has been separately recorded by us today to the effect that she has joined the organisation on her own

will and that while she wishes to continue with the organisation, this court could pass appropriate orders directing the Ashram to provide visiting rights to the parents and siblings of Ms. Neelima Gupta so that they remain reassured about her safety and security.

Mr. Shailendra Gupta who appears for the appellants as also the Ashram though not a party in these proceedings submits on instructions that the Ashram authorities will at all time facilitate a meeting between Neelima Gupta and her parents/siblings and also keep the parents informed about her whereabouts. It is submitted by learned counsel that while Ms. Neelima Gupta may be in Delhi Ashram for the present she can be transferred to some other Ashram for services in which event her latest address and whereabouts shall be duly posted to the parents to enable them to visit her, if so advised at the said centre. That submission should in our opinion suffice especially when we have no manner of doubt that Ms. Neelima Gupta is a major and in terms of the statement recorded by us today she has unequivocally stated that she had left home to join the Ashram aforementioned without any duress or inducement from any quarter whatsoever.

In the circumstances set out above, continuance of the prosecution against the appellants who claim to be workers and devotees of the Ashram do not appear to be serving any useful purpose. we are, therefore, inclined to quash the proceedings with appropriate directions.

In the result we allow this appeal set aside the order passed by the High Court and allow the petition filed by the appellants under Section 482, Cr.P.C. and quash the proceedings pending against the appellants before JMC 1st Class, Rewa. We however direct that in keeping with the statement and assurance given to the court on its behalf the Ashram authorities shall keep the parents of Ms. Neelima Gupta informed about the place of her posting in different centres and also facilitate a meeting between the parents/siblings and Neelima Gupta as and when a request to that effect is made to the Ashram.

Ms. Neelima Gupta submits that she will withdraw the case filed by her against her parents which is presently pending in the court at Rohini court. Needful shall be done by her within six weeks from today.

The appeal is allowed and disposed of with the above observations.

Sd/-
.................................J.
(T.S.THAKUR)

Sd/-
.................................J.
(FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA)

New Delhi,
November 02,2012